

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	आरती मनहरे
पिता/पति का नाम	:-	स्व. हनिलकांत मनहरे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10001
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भुनेश्वर यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री रोहित कुमार यादव
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10002
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिग्विजय टण्डन
पिता/पति का नाम	:-	श्री एफ.आर.टण्डन
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10003
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिलेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री ज्ञानिक
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10004
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिलेश्वर भारती
पिता/पति का नाम	:-	फगवा राम भारती
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10005
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिनेश्वरी ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री लतेलराम ध्रुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10006
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हरीश कुमार बोकडे
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेश कुमार बोकडे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10007
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	काजल कोसले
पिता/पति का नाम	:-	श्री गोपाल कोसले
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10008
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कलेन्द्री ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री छबीलाल ध्रुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10009
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मंजूलता साहू
पिता/पति का नाम	:-	राजकुमार साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10010
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मौसम कुमार अग्रवाल
पिता/पति का नाम	:-	श्री जैनेन्द्र कुमार अग्रवाल
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10011
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मायावती
पिता/पति का नाम	:-	श्री कामता
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10012
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ओम प्रकाश
पिता/पति का नाम	:-	श्री श्याम कुमार
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10013
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पार्वती ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री चैनसिंग ध्रुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10014
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पवन कुमार मन्नाडे
पिता/पति का नाम	:-	श्री पुनीत राम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10015
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पुनेश्वर
पिता/पति का नाम	:-	श्री अगनू राम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10016
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राहुल कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री पुनीत राम
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10017
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रमेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	बलराम दाण्डे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10018
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रमेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री पेंघुराम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10019
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रीतु साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री जागेश्वर राम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10020
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	उषा बंजारे
पिता/पति का नाम	:-	श्री संतोष कुमार बंजारे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10021
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	वर्ष धोटे
पिता/पति का नाम	:-	श्री मधुकर ठाकरे
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10022
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अगेश्वर
पिता/पति का नाम	:-	श्री शोभाराम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10023
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अजीत किशन सुरजा
पिता/पति का नाम	:-	श्री बिसी किशन सुरजा
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10024
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अविनाश घोडेसवार
पिता/पति का नाम	:-	श्री हंसराज घोडेसवार
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10025
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	बलराम
पिता/पति का नाम	:-	श्री सुरेश
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10026
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भागीरथी ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री हेमलाल ध्रुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10027
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भगवती प्रसाद सोनी
पिता/पति का नाम	:-	श्री कृष्ण कुमार सोनी
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10028
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भास्कर यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री रविकांत यादव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10029
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दीपक कुमार राठौर
पिता/पति का नाम	:-	श्री श्यामलाल राठौर
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10030
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दीपेश साहू
पिता/पति का नाम	:-	डोमन साहू
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10031
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	धनेशगिर गोस्वामी
पिता/पति का नाम	:-	देवगिर गोस्वामी
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10032
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	धर्मेन्द्र कुमार बन्दे
पिता/पति का नाम	:-	श्री मुन्ना लाल बन्दे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10033
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिनेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री बालाराम सोनी
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10034
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिनेश कुमार गेंदवाल
पिता/पति का नाम	:-	बन्दाउ प्रसाद गेंदवाल
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10035
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दीप्ती मेश्राम
पिता/पति का नाम	:-	श्री श्याम लाल मेश्राम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10036
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दुर्गेश कुमार कन्नौजे
पिता/पति का नाम	:-	श्री यूरेन्द्र कन्नौजे
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10037
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गणेश
पिता/पति का नाम	:-	बुधरू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10038
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गीता ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजकुमार ठाकुर
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10039
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	घनिता
पिता/पति का नाम	:-	श्री डोमन लाल साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10040
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गुलशन कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री खीखराम
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10041
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	गुलशन रत्नाकर
पिता/पति का नाम	:-	राजेन्द्र कुमार रत्नाकर
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10042
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हेमन्त टण्डन
पिता/पति का नाम	:-	श्री रामाधार टण्डन
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10043
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हरनारायण
पिता/पति का नाम	:-	श्री मोहितराम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10044
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	जय प्रकाश तारक
पिता/पति का नाम	:-	मोरध्वज तारक
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10045
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	झुमुक लाल केसरी
पिता/पति का नाम	:-	श्री सदाशिव
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10046
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	जितेन्द्र बंजारे
पिता/पति का नाम	:-	श्री रामकिसुन बंजारे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10047
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	जितेन्द्र कुमार देवांगन
पिता/पति का नाम	:-	श्री गंगाराम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10048
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ज्योतिष कुमार बान्धे
पिता/पति का नाम	:-	श्री चैतराम बान्धे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10049
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कल्पना
पिता/पति का नाम	:-	श्री कनोहर लाल
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10050
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कमलेश देवदास
पिता/पति का नाम	:-	श्री रमेश
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10051
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कान्ता प्रसाद
पिता/पति का नाम	:-	श्री दिनेश कुमार
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10052
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	केस कुमार सेन
पिता/पति का नाम	:-	कोमल नारायण सेन
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10053
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	खेलेश्वर सिंह
पिता/पति का नाम	:-	श्री लखन सिंह
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10054
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	खेमलता बंजारे
पिता/पति का नाम	:-	श्री छककन सिंह बंजारे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10055
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	खोमन लाल
पिता/पति का नाम	:-	श्री कृपाराम
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10056
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	किरण
पिता/पति का नाम	:-	जयराम
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10057
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कृष्ण कुमार मिरी
पिता/पति का नाम	:-	श्री नंदकुमार
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10058
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ललित कुमार कुर्रे
पिता/पति का नाम	:-	श्री तेरस राम कुर्रे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10059
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लक्ष्मीनारायण
पिता/पति का नाम	:-	श्री खेलाराम गोड़
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10060
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लिलाशंकर जायसवाल
पिता/पति का नाम	:-	श्री इन्द्रकुमार जायसवाल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10061
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	महेन्द्र सिंह
पिता/पति का नाम	:-	श्री जतन सिंह
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10062
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मंदाकिनी
पिता/पति का नाम	:-	श्री केशवराम
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10063
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मनीष कुमार भरेवां
पिता/पति का नाम	:-	श्री रमेश कुमार भरेवां
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10064
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	परितम सोनवानी
पिता/पति का नाम	:-	श्री देवसिंग सोनवानी
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10065
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	परमानन्द पटेल
पिता/पति का नाम	:-	श्री सालिक राम पटेल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10066
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रदीप निषाद
पिता/पति का नाम	:-	श्री इंदर
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10067
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रेमचन्द मजखंड
पिता/पति का नाम	:-	श्री धनसिंग मजखंड
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10068
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रीति साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री टुकेश्वर प्रसाद
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10069
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पुनित राम
पिता/पति का नाम	:-	श्री भारत निषाद
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10070
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रघुवीर ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री टेकनलाल सुरेन्द्र ध्रुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10071
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राजेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री कृपा राम
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10072
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राजेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:-	खेगो
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10073
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राजकुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री सन्तुराम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10074
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राजू कुमार सारथी
पिता/पति का नाम	:-	श्री कार्तिक राम सारथी
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10075
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राकेश कुमार घृतलहरे
पिता/पति का नाम	:-	श्री गैदलाल घृतलहरे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10076
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राम कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री तुलसी राम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10077
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रमेश कुमार बारले
पिता/पति का नाम	:-	श्री उत्तम कुमार बारले
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10078
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रविलाल टांडिया
पिता/पति का नाम	:-	श्री कृष्णा राम टांडिया
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10079
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रितेश कुमार लहरे
पिता/पति का नाम	:-	श्री धरम सिंह लहरे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10080
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रूपचरण मरावी
पिता/पति का नाम	:-	देवलाल
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10081
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सरस्वती साहनी
पिता/पति का नाम	:-	श्री प्रेम लाल साहनी
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10082
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सरिता तिकी
पिता/पति का नाम	:-	श्री अभय कुमार तिकी
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10083
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सेतकुमार रात्रे
पिता/पति का नाम	:-	श्री छोटेलाल रात्रे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10084
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शुभम सिंह ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	श्री सुकदेव सिंह ठाकुर
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10085
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सोनू कुमार चौहान
पिता/पति का नाम	:-	श्री हरनारायण चौहान
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10086
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुन्दरम कुमार सिंह
पिता/पति का नाम	:-	श्री रविन्द्र कुमार सिंह
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10087
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	संनील कुमार टाण्डे
पिता/पति का नाम	:-	प्रेमलाल टाण्डे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10088
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुरज कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री विश्वनाथ
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10089
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सूरज कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री कुलेश्वर प्रसाद रामटेके
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10090
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुरेन्द्र कुमार ध्रुव
पिता/पति का नाम	:-	श्री दशरू राम ध्रुव
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10091
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तजेश्वरी दीवान
पिता/पति का नाम	:-	श्री पन्नालाल
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10092
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तामेश्वर
पिता/पति का नाम	:-	श्री माखन लाल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10093
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तीजराम पाटले
पिता/पति का नाम	:-	श्री गयाराम पाटले
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10094
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तोषण कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री सियाराम जगत
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10095
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	टुपेश्वर कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री भागवत राम
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10096
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	वागेश्वर
पिता/पति का नाम	:-	टीकाराम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10097
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विवेक पण्डरिया
पिता/पति का नाम	:-	ईश्वरी पण्डरिया
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10098
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	आदित्य कुमार देवदास
पिता/पति का नाम	:-	दसरुराम देवदास
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10099
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अजय कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री रमेश कुमार
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10100
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अनिल कुमार कौशिक
पिता/पति का नाम	:-	श्री राधेश्याम कौशिक
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10101
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	अर्चना सोनी
पिता/पति का नाम	:-	श्री मुरली प्रसाद सोनी
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10102
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भारती साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री पवन कुमार साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10103
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	भावना राजेश बोकडे
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेश बोकडे
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10104
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	डिगेन्द्र हिरवानी
पिता/पति का नाम	:-	श्री झुमुक लाल हिरवानी
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10105
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दिग्विजय सिंह राजपूत
पिता/पति का नाम	:-	श्री पोषण सिंह राजपूत
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10106
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हेमन्त कुमार शर्मा
पिता/पति का नाम	:-	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10107
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हेमलता साहू
पिता/पति का नाम	:-	मोहन लाल साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10108
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	कंचन ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10109
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	किरन ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10110
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लखन दास परमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री गणेश राम परमार
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10111
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ललित कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	स्व.अवध चंदन साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10112
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लोमस कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री अंतराम यादव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10113
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	महेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री भूषण
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10114
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	महेन्द्र कुमार पटेल
पिता/पति का नाम	:-	श्री शिवशंकर पटेल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10115
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मो.असलम मंसूरी
पिता/पति का नाम	:-	मो. नसीरुद्दीन मंसूरी
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10116
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मुकेश कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री बुधारू यादव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10117
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नरेश कुमार पाल
पिता/पति का नाम	:-	स्व. सेवकराम पाल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10118
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	नरेश कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री गजाधर साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10119
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	निखिल कुमार शर्मा
पिता/पति का नाम	:-	जगदीश प्रसाद शर्मा
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10120
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	निलेश कुमार डउसेना
पिता/पति का नाम	:-	श्री गोवर्धन प्रसाद डउसेना
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10121
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	ओमकार यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री शंकर लाल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10122
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	पंकज कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री प्रभाकर राव
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10123
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	परमेश्वर
पिता/पति का नाम	:-	टानिक उम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10124
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	प्रवेश मिश्रा
पिता/पति का नाम	:-	श्री जितेन्द्र मिश्रा
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10125
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रघुनंदन चंद्राकर
पिता/पति का नाम	:-	श्री बलराम चंद्राकर
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10126
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रामकृष्ण
पिता/पति का नाम	:-	श्री गुरुशरण
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10127
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रामशरण
पिता/पति का नाम	:-	श्री कार्तिकराम
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10128
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रिक्की पाल
पिता/पति का नाम	:-	श्री मनोहल लाल
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10129
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रीतेश कुमार धीवर
पिता/पति का नाम	:-	श्री प्रमेश कुमार धीवर
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10130
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	रूपेन्द्र दीवान
पिता/पति का नाम	:-	श्री ठगेश्वर सिंह दीवान
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10131
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सगीता ठाकुर
पिता/पति का नाम	:-	श्री राजेश सिंह ठाकुर
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10132
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	संजय साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री प्यारेलाल साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10133
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शुभम सिन्हा
पिता/पति का नाम	:-	किशोर कुमार सिन्हा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10134
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शुभम वर्मा
पिता/पति का नाम	:-	योगेन्द्र वर्मा
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10135
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	सुनील कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री मुक्तावन प्रसाद
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10136
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तिलक राम यादव
पिता/पति का नाम	:-	श्री के.आर. यादव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10137
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	तुलसीराम साहू
पिता/पति का नाम	:-	नारद राम
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10138
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विमल कुमार साव
पिता/पति का नाम	:-	श्री नीलाम्बर साव
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10139
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विमल पाल
पिता/पति का नाम	:-	श्री विजय पाल
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10140
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विमला साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्रीराम साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10141
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	वीरेन्द्र कुमार साहू
पिता/पति का नाम	:-	कुंवरदास साहू
वर्ग	:-	OBC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10142
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	योमन सिंह नेताम
पिता/पति का नाम	:-	श्री मिलन सिंह नेताम
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10143
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	दुलारी साहू
पिता/पति का नाम	:-	श्री ओम प्रकाश साहू
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10144
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	हरी शंकर साव
पिता/पति का नाम	:-	श्री सुशील साव
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10145
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	लोचन कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री मोतीलाल
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10146
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	मुस्कान सिन्हा
पिता/पति का नाम	:-	श्री गोपाल सिन्हा
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10147
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	शैलेश कुमार
पिता/पति का नाम	:-	श्री डोमार सिंह
वर्ग	:-	ST

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10148
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	विनोद कुमार महानंद
पिता/पति का नाम	:-	श्री विष्णु प्रसाद महानंद
वर्ग	:-	SC

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10149
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आएं।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:-	दक्षता/कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:-	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)
अभ्यर्थी का नाम	:-	राधिका सिन्हा
पिता/पति का नाम	:-	श्री संजय कुमार
वर्ग	:-	GEN

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	10150
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	29/11/2023 (बुधवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 08:00 से 10:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर
(परीक्षा स्थल में)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति
महासमुन्द (छ.ग.)

--:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::--

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा दक्षता/कौशल परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईडी से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गार्ड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।